

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026—फाल्गुन 1, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 दिसम्बर 2025

क्रमांक ई 1-01/2025/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर जिला-सरगुजा को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पत्र क्र. 154/CGH/2025-P. Admn, दिनांक 24-11-2025 के अनुक्रम में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. द्वारा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

2. श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद पर पदस्थ करता है।

श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केवल प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अति. प्रभार से मुक्त होंगे।

श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

3. श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-कोरबा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है।

4. श्री कुणाल दुदावत, भा.प्र.से. (2017), कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरबा के पद पर पदस्थ करता है।

5. श्री देवेश कुमार ध्रुव, भा.प्र.से. (2018), कलेक्टर, जिला-सुकमा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है।

6. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, भा.प्र.से. (2018), कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बेमेतरा के पद पर पदस्थ करता है।

7. सुश्री नम्रता जैन, भा.प्र.से. (2019), अपर कलेक्टर, रायपुर तथा अति. प्रभार सेंटर प्रभारी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है।

8. श्री अमित कुमार, भा.प्र.से. (2019), आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सुकमा के पद पर पदस्थ करता है।

9. श्री प्रकाश कुमार सर्वे, भा.प्र.से. (2019), अपर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

10. श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2019), अपर कलेक्टर, सुकमा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी के पद पर पदस्थ करता है।

11. सुश्री रोमा श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मंत्रालय पदस्थ करता है।

सरल क्रमांक 2 से 10 में उल्लेखित अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश क्र. 23/2025-ERS(Vol.II), दिनांक 27-10-2025 का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जनवरी 2026

क्रमांक एफ 7-11/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री हिमांशु गुप्ता, (भापुसे-1994), महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ को दिनांक 19-01-2026 से 23-01-2026 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करने तथा दिनांक 17, 18, 24 एवं 25 जनवरी 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु गुप्ता (भापुसे), महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री गुप्ता (भापुसे) को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्रमांक/25/202403200400015/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	केशकाल	मातेंगा	0.9366	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला कोण्डागांव	होनहेंड से मातेंगा मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोण्डागांव, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्रमांक/26/202403200400012/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	केशकाल	कुपागोंदी	0.4625	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल	होनहेंड से मातेंगा मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 5 जनवरी 2026

क्रमांक/27/202403200400013/अ-82/भू-अर्जन/2023-24.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	केशकाल	उमरादाह	0.8835	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)	होनहेंड से मातेंगा मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केशकाल, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नूपुर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 8 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/479/202210050400020/अ 82/21-22/2025. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	बरपाली	चिचोली प.ह.नं.-12	0.105	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध, संभाग जांजगीर	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत चाम्पा शाखा नहर के कचोरा माईनर नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/563/202208050400023/अ 82/21-22/2025. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	परसाखोला प.ह.नं.-08	0.852	मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर (छ.ग.)	परसाखोल व्यपवर्तन योजना बांध एवं नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2024-25/4105.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	माड़ाकोट प.ह.नं.-25	0.420	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड	माड़ाकोट जलाशय योजना के अंतर्गत स्पील चैनल का निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 1 जनवरी 2026

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-करतला
(ग) नगर/ग्राम-बोकरदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.802 हेक्टेयर

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/23/202010050400007/अ-82/2024.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/2, 16, 3, 17/1, 18/2क, 28/5	0.117
5/5	0.028
14/4, 18/2ख	0.008
80/3	0.065

(1)	(2)
5/8, 18/9, 25/7, 28/10, 30/8, 36/5	0.130
19/1, 21, 25/1, 28/6	0.182
25/5	0.016
24/1	0.008
22/2, 23/2, 25/2	0.194
24/2	0.040
57/2, 58/2, 59/2, 83/9	0.036
23/3, 46	0.174
47	0.016
56/1	0.202
58/3, 61/1	0.161
56/2	0.020
61/4	0.065
56/10	0.069
61/2	0.073
56/11	0.024
57/1, 58/2क, 83/9क	0.036
61/3	0.053
58/1, 59/1, 60, 61/5, 63/5	0.085
योग	23 1.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरदा जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्र. क्रमांक 02/अ-82/2022-23/4111.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् में अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-पथरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.413 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.393
2/3	0.126
3/1	0.097
2/4	0.125
3/2	0.098
2/5	0.125
3/3	0.097
2/6	0.117
3/4	0.235

योग 09 1.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परासी एनीकट योजना के डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/202507042100033/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन-	
(क) जिला-रायगढ़	
(ख) तहसील-पुसौर	
(ग) नगर/ग्राम-त्रिभौना	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/1ख	0.048
योग	1 0.048
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-त्रिभौना लघु नहर निर्माण हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2026

प्र. क्र./3948/भू-अर्जन/202405111000294/अ-82, वर्ष-2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-शंकरनगर, प.ह.नं.-63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
162/1		0.016
योग		1 0.016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-शंकरनगर व्ही.आई.पी. कालोनी मार्ग पर रायपुर-विशाखापट्टनम रेलवे लाईन के कि.मी. 4/10-11 पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण लेन हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 28 अगस्त 2025

क्रमांक 230/भू.अ.प्र.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2019-20/2022.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-बालोद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बालोद से पड़कीभाट बायपास मार्ग निर्माण.
(1)	(2)	
219/4,5	0.007	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.
74/4	0.024	
योग	02	0.031
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 23 दिसम्बर 2025

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 2097/धर्मजयगढ़ नि.क्षे./नग्रानि./2025.—एतद्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसरण में जारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 965/नग्रानि/2016 रायगढ़ दिनांक 28-07-2016 द्वारा धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन (छ.ग. राजपत्र दिनांक 02 दिसंबर 2016) व अधिनियम की धारा 15(4) के तहत वर्तमान भूमि उपयोग का अंगीकरण (छ.ग. राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2017) करते हुए सीमाएं निर्धारण करने संबंधी है :—

हिन्दी प्रति में— धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र के स्थान पर धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र तथा सीमाओं में ग्राम-मेड़रभाटा के स्थान पर मेंढरमार, ग्राम-दरीडीह के स्थान दरीडीह, ग्राम-ओमना के स्थान पर ओंगना, ग्राम-मड़रीमुड़ा के स्थान पर भण्डारीमुड़ा, ग्राम-धर्मजयगढ़ के स्थान पर धर्मजयगढ़ पढ़ा जावे.

अंग्रेजी प्रति में— Medharbhata के स्थान पर Medharmar, Daridih के स्थान पर Darridih, Omna के स्थान पर Ongana, Madrimuda के स्थान पर Bhandarimuda, Semipali (in Eastern Boundary) के स्थान पर Semipali Khurd पढ़ा जावे.

के. एस. कंवर,
उप संचालक

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th September 2025

No. 31/L.G./2025/II-2-22/2015.—Shri Shakti Singh Rajput, Principal District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 08 days from 21-10-2024 to 28-10-2024 along with permission to remain out of headquarters from 21-10-2024 to 03-11-2024 and earned leave for 08 days from 29-10-2024 to 05-11-2024 in continuation of earned leave from 21-10-2024 to 28-10-2024 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajput, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 248 days earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th September 2025

No. 32/L.G./2025/II-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, Principal District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 04 days from 25-11-2024 to 28-11-2024 along with permission to leave headquarters from 25-11-2024 till before the Court hours of 29-11-2024, earned leave for 04 days from 25-08-2025 to 28-08-2025 along with permission to leave headquarters from 25-08-2025 till before the office hour of 29-08-2025 and earned leave for 02 days on 01-09-2025 and 02-09-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th September 2025

No. 33/L.G./2025/II-3-24/2024.—Shri Rahul Sharma, Deputy Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 11 days from 04-11-2024 to 14-11-2024 along with permission to leave headquarters from 04-11-2024 to 17-11-2024 and earned leave for 04 days from 10-12-2024 to 13-12-2024 along with permission to leave headquarters from 09-12-2024 to 15-12-2024 and earned leave for 04 days from 14-12-2024 to 17-12-2024 in continuation of earned leave from 10-12-2024 to 13-12-2024 along with permission to remain out of headquarters from 14-12-2024 to 18-12-2024.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 177 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th September 2025

No. 34/L.G./2025/II-3-27/2014.—Shri Jitendra Kumar, Principal District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 05 days from 04-11-2024 to 08-11-2024 along with permission to remain out of headquarters from 01-11-2024 to 10-11-2024 earned leave for 09 days from 17-02-2025 to 25-02-2025 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 14-02-2025 till before the Court hours of 27-02-2025 and earned leave for 07 days from 29-08-2025 to 04-09-2025 along with permission to remain out of headquarters from 29-08-2025 to 05-09-2025.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jitendra Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 11th September 2025

No. 35/L.G./2025/II-3-38/2017.—Shri Ram Kumar Tiwari, Principal District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 04 days from 04-02-2025 to 07-02-2025 along with permission to remain out of headquarters from 04-02-2025 to 08-02-2025 and commuted leave for 07 days from 28-08-2025 to 03-09-2025.

During the period of earned leave and commuted leave as, the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave and 323 days of commuted leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
SANTOSH THAKUR, Additional Registrar (ADMN.)
